19 दिन में 45 हजार ऑनलाइन आवेदन

पटना। सेवा का अधिकार कानून के तहत 1 दिसम्बर सामान्य प्रशासन विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है। लोग इस सुविधा का जमकर लाभ उठा रहे हैं। महज 19 दिन में सूबे में आवासीय, आय और जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिए 45 हजार से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं।

सबसे ज्यादा करीब 50 फीसदी आवेदन सिर्फ आवासीय प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए आए हैं। इसके बाद जाति और आय प्रमाण-पत्रों की डिमांड है। जाति और आय प्रमाण-पत्र के लिए समान औसत में आवेदन आए हैं। कुल आवेदनों में करीब 40 फीसदी आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। सबसे ज्यादा आवेदन पटना और मुजफ्फरपुर जिले से तीन हजार आए हैं।

इसके अलावा पूर्वी चम्पारण से 2700, समस्तीपुर एवं भागलपुर से 1900, गया से 1700, नालंदा और सुपौल से 1500, अरवल से 1250 आवेदन प्राप्त हुए हैं।